ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in April 2025

# भारतीय संघवाद : वर्तमान संदर्भ में एक अध्ययन

ममिता कुमारी, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपूर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

## साराशं

भारतीय संघवाद में ऐसा देखा गया है कि संघवाद शब्द का प्रयोग किसी भी देश की संवैधानिक व्यवस्था के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारतीय संघवाद शब्द का प्रयोग भिन्न–भिन्न सन्दर्भों में किया गया :–
शाब्दिक और वैचारिक प्रयोग ने इसके अर्थ को ही विकृत कर दिया,
लोकतंत्र की तरह ही भिन्न – भिन्न लोगो ने संघवाद का अलग– अलग अर्थ लगाया।
संघवाद साझे, राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक संवैधानिक यंत्र है,
यह शोधपत्र भारतीय संघवाद के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक विश्लेषण पर केन्द्रित है।

**मुख्य शब्दः संघवाद शक्तियों का विभाजन, केन्द्र और राज्य, संघात्मक या एकात्मक**

**प्रस्तावना –**

अंग्रेजी भाषा का शब्द फेडेरल मूलतः लैटिन शब्द 'फेडस' से आया है जिसका तात्पर्य राज्यों के बीच समझौता से है फेडरलिज्म के प्रमुख सिद्धान्तकार के. सी व्हेयर मानते है कि फेडरलिज्म केन्द्र व क्षेत्रीय शिक्तियों के बीच शक्ति का विभाजन है भारतीय संघवाद की प्रकृति अर्द्ध – संघीय है, संविधान निर्माताओं के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि संविधान एकात्म हो या संघात्मक इस प्रश्न पर मध्यम अपनाया गया भारतीय संविधान का बहिरंग संघात्मक है, पर अन्तरंग एकात्मक ।

संविधान में भारत को ''राज्यों का संघ'' कहा गया है भारत एक संघ राज्य है लेकिन यह संघ राज्य किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं देता है,।

केन्द्र राज्य के मध्य राजस्व के विभाजन के आधारभूत सिद्धान्त है – कार्यक्षमता, पर्याप्तता तथा उपयुक्तता इन तीनों उद्देश्यों की एक साथ ही प्राप्ति अत्यन्त कठिन थी। अतः भारतीय संविधान में समझौता, की चेष्टा की गयी।

1935 के संविधान में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गयी थी इस संघात्मक संविधान में भारतीय रियासतों में ब्रिटिश प्रान्तों की तरह उत्तरदायी शासन का अभाव था वे स्वेच्छाचारी शासन के अधीन थी, संघीय विधान मण्डल में रियासतों के प्रतिनिधि नरेशो द्वारा मनोनित होते थे जबकि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि परोक्ष निर्वाचन विधि से जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। भारतीय रियासतों में प्रजा, के प्रति कोई सम्बन्ध न होने के कारण संघ राज्य को कोई अधिकार नहीं था। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा संघ और संघान्तरित सरकारों के बीच अधिकारों का स्पष्ट बँटवारा था। धारा 99 में प्राविधान था कि संघीय विधान मण्डल समूचे ब्रिटिश भारत' या उसके भाग व किसी भी संघीय राज्य के लिए कानून बनावे। धारा 100 के अनुसार विषयवार 3 सूचियों का वर्गीकरण था। संघीय सूची में 59 विषय प्रान्तीय सूची में 54 तथा समवर्ती सूची मे 36 विषय थे।

सामान्यतया कार्यरूप में संघ राष्यों का झुकाव केन्द्रीय–करण की ओर था। धारा 45 के अनुसार संकट–कालीन स्थिति में संघीय विधान मण्डल को प्रान्तीय सूची से सम्बन्धित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार को था।

भारतीय संघराज्य की व्यवस्था संघान्तरिक राज्य और संघ सरकार के समान अधिकार सूत्र से भिन्न थी। ब्रिटीश भारतीय प्रान्त तो संघ राज्यों को समान अधिकार प्रदान करते थे। किन्तु भारतीय रियासतें उन्ही विषयों में संघ सरकार के अधीन होती थी जिन्हें वे अपने प्रवेश प्रार्थना पत्र में संघ सरकार को समर्पित करती थी।

भारतीय संघ राज्य की बड़ी सभा में प्रतिनिधित्व के मामले में कनाडा का अनुकरण किया गया था और उसमें संघीय राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं था।

1919 के भारतीय शासन अधिनियम को द्वैत शासन व्यवस्था से भारतीय लोकमत अंसतुष्ट था। फलस्वरूप 1935 के अधिनियम की धारा 46 के अनुसार, गर्वनर के ग्यारह प्रान्तों में स्वशासन उत्तरदायी सरकारे आरम्भ कर करने की व्यवस्था थी।

इस नये अधिनियम में जनता के मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थो बल्कि इसके विपरित ब्रिटेनवासियों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया था। उन्हे मंत्रीयों के परामर्श के विरुद्ध व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार आदेश और विवेकानुसार अध्यादेश जारी करने के अधिकार प्राप्त हुए।

1935 के अधिनियम में राष्ट्रीयता को विखण्डित एवं प्रभावहीन बनाने की मंशा थी। सम्प्रदायिकता एवं विशेष हितो के प्रतिनिधियों के जोर पकड़ने के कारण भारतीय निर्वाचन लगभग एक दर्जन पृथक निर्वाचन मण्डलों में विभाजित कर दिये गये थे।

साइमन कमीशन की संस्तुति के आधार पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू समिति बनी उसमें भी अपने प्रतिवेदन में संघात्मक व्यवस्या के अर्न्तगत सभी पक्षों की मांगों को समायोजित करने की पहल की गयी थी जो संघवादी व्यवस्था के निमार्ण मे क्रान्तिकारी कदम सिद्ध हुआ।

संविधान के द्वारा भारत के लिए एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है लेकिन संविधान में कहीं पर भी संघराज्य (Fedaration) शब्द का प्रयोग नहीं नहीं किया गया है वरन उसके स्थान पर राज्यों के संघ (Union of statas) शब्द का प्रयोग किया गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ० अम्बेडकर ने राज्यों संघ शब्दावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में कहा था–प्रारूप समिति के द्वारा इन शब्दावली का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत का एक संघराज्य है लेकिन यह संघराज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौता का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं हैं।'

संघवाद वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य के समस्त शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध्य हो जाता है ये दो प्रकार की सरकारे केन्द्रीय सरकार सरकार और राज्यों की सरकार का सिद्धान्त है जिसमें संविधान के द्वारा केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों दोनों की ही शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है, संघात्मक व्यवस्था के कुछ प्रमुख लक्षण है, लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता सरकार संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन, स्वतन्त्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्चसदन का राज्य सदन होगा।

विश्व के अन्य संघात्मक विधानों की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शाक्तियों का विभाजन किया गया है संघीय सूची में 97 विषय है जिन पर संघीय संसद को क्षेत्राधिकार प्राप्त है राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 है जो साधारणतया राज्य की व्यवस्थापिकाओं के अधिकार में है और समवर्ती सूची के 47 विषयों को संघ और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। संघीय और राज्य सरकारों, के बीच शक्ति विभाजन का उल्लेख भारतीय संविधान में अन्य किसी भी संघात्मक संविधान की तुलना में अधिक व्यापक रूप से किया गया है। डॉ0 अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस तथ्य की व्यवस्था इन शब्दों में की थी, संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी कार्यपालिका सत्ता का केन्द्र तथा राज्यों में वितरण करना है। इस सिद्धान्त का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है यह कथन असत्य है कि राज्यों को केन्द्र के अधीन रखा गया है केन्द्र अपनी इच्छा से विभाजन रेखा को बदल नहीं सकता है और न ही न्यायालय इसमें परिवर्तन ला सकता है।''

श्री पी0 टी0 चाकों का मत था कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है, यह शरीर में संघात्मक है किन्तु, आत्मा से एकात्मक है सभी शक्तियाँ संसद को प्रदान कर दी गई है और व्यवहारतः राज्य विधान मण्डलो को कोई शक्तियों प्रदान नहीं की गई है। पी. एस देशमुख का मत था कि जो संविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। पी0 टी0 चाको और पी0 एस0 देशमुख का दृष्टीकोण पूर्णरूप से स्वीकार्य न होने पर भी मानना होगा कि भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के भी कुछ लक्षण विद्यमान है।

भारतीय संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब–जब केन्द्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब–तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा।

संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे अतः संविधान निर्माताओं ने केन्द्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य न्यायिक व्याख्या, द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ने की अपेक्षा स्वंय ही कर लेना उचित समझा। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व निम्नलिखित है– इकहरी नागारिकता– प्रायः सघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में ऐसा ही है किन्तु भारत सम्बन्ध संघ से है,। और राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है, प्रत्येक भारतीय को सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है यद्यपि यह संघात्मक सिद्धान्त के प्रतिकुल है किन्तु भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से उसे आवश्यक समझा गया।

संकट काल में एकात्मक शासन – हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 द्वारा

संकटकाल की घोषणाए करने का अधिकार है ,अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रीय संकट काल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने और राज्य पर सभी प्रकार के प्रशासकीय नियन्त्रण प्राप्त हो जाते है।

अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय संकट की स्थिति में सभी राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर केन्द्र का नियन्त्रण स्थापित हो जाता है।

वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपदि राज्यों के वित्त विधेयको को भी अपनी मंजूरी के लिए मंगवा सकता है राज्य में संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में राज्य का शासन चलाता है, संसद उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है।

इस प्रकार संकटकाल में राज्य स्वायत्तता प्राप्त इकाइयाँ न रहकर एकात्मक राज्य के अंग हो जाते है। संघवाद एक इन्द्र धनुष की भाँति होता है जहाँ प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है लेकिन ये सभी मिलकर एक सुन्दर और सद–भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते है।

संघीय व्यवस्था केन्द्र और राज्य के बीच संतुलन बनाये रखने को वर्णन कार्य करती है कोई भी कानूनी या संस्थानिक फार्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्य करने को गारंटी नहीं दे सकता इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रिया को पारस्परिक विश्वास सहनशीलता तथा सहयोग की भावना एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है।

भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था राज्य संबंधों के संदर्भ में एक ऐसी लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है जिसका आरम्भ अंग्रेजी शासन काल में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार चेम्सफोर्ड सुधार साइमन कमीशन रिर्पोट नेहरू रिर्पोट तथा 1935 का अधिनियम संघीय तथा प्रक्रिया के प्रारम्भीक चरण थे जिनको अधार बनाकर संविधान निर्माताओं ने संघात्मक व्यवस्थाओं को भारतीय स्वरुप प्रदान किया। वर्तमान परिस्थतियों में राजनीतिक व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित गत्यात्मक शक्तियों एवं उनकी कार्यविधि को जटिलताओं में संघात्मक का व्यवस्था की पेचीदा कार्य विधि से केन्द्र व राज्यों के संबंधों में न केवल, नवीन आयाम उभरे है बल्कि तथ्यों एवं पारस्परिक की नवीन प्रवृत्तीयो ने संघवाद की पुनः व्याख्या का रूप अनिवार्य बना दिया है।

संगठन की एक विधि के रूप में संघवाद को समय की आवश्यकताओं से अलग नहीं रख सकते है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति शक्ति के नवीन पहलू महत्वपूर्ण बन गयें है। राजनीति समाजों में सामाजिक सांस्कृतिक व धार्मिक तथ्यों के प्रभाव के माध्यम से सरकारों के कार्यों में व्यापक परिवर्तन, दृष्टिगोचर हो रहा है

इन परिस्थितियों में एक ही राजनीतिक व्यवस्था में कार्यरत केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सरकारे एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र तथा अपने–अपने क्षेत्रों में सीमित नहीं रह सकती है अतः केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के पृथक क्षेत्र का अपनापन् एवं स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र में इनका सीमितपन मात्र सैंद्धान्तिक ही रह गया है।

वर्तमान समय में इसे व्यवहारिक नहीं माना जा सकता इसके अतिरिक्त शासन व्यवस्थाओं के संचालन राजनीतिक दलो का सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण मार्गदर्शन और वैज्ञानिक आरोपण संघीय व्यवस्था की प्रत्येक स्तरीय सरकार को एक नवीन स्वरूप प्रदान करता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संघवाद सहयोग की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे जड़ता नहीं बल्कि गत्यात्मकता एवं सजीवता दृष्टिगोचर होती है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सम्पूर्ण शक्ति संविधान के द्वारा केन्द्र और और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है अर्थात दोहरा शासन होता है, जहाँ केन्द्रीय शासन का आधार सम्पूर्ण देश में होता है, वहीं राज्यों का अधिकार, क्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित देश का एक निश्चित भू–भाग होता है केन्द्र व राज्यों की शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती है दोनों एक दूसरे का अतिक्रमण न कर सके इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था की जाती है।

संघात्मक शासन प्रणाली में विद्यमान पृथक–पृथक प्रदेशों या क्षेत्रों के कारण राजनीतिक दलों के निर्माण और विकास में आसानी होती है। संघात्मक प्रणाली वाले देशों में शासन के विभिन्न स्तरों के साथ–साथ दल प्रणाली के विभिन्न स्तर दिखलाई पड़ते हैं।

यह व्यवस्था संघीय सरकार और राज्य सरकार को एक दूसरे के बीच आत्मनिर्भर की भावना को मजबूती प्रदान करती है। जो यह सिद्ध करने की कोशिश करती है कि दोनों एक दूसर के अनुपूरक न होकर पूरक है इस तरह भारत की विविधाओं को समायोजित करने वाली भावना को दृष्टिगत करते हुए संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारतीय संघवाद में नये दौर की शुरुआत हुई।

**निष्कर्ष :–**

भारतीय संघवाद में संघ राज्य संबंधो के दबावों का सामना करते हुए भरपूर ऊर्जा के साथ–साथ स्वयं को सुदृढ़ किया है और इसने निरन्तर भारत की विविधता के साथ सामंजस्य बनाए रखा है, शुरुआती दौर मे जहाँ भारतीय संघ केन्द्रीयकृत था लेकिन 1967 के बाद इसका विकेन्द्रीकरण हो गया फिर जनता सरकार द्वारा सहकारी संघ प्रावृत्ति की ओर दिखाई देता है,

आज राज्यों को अलग–अलग नही किया जा सकता है, सहकारी संघवाद व्यवहारिक रूप में तभी कायम किया जा सकता है जब राज्यों को निर्णात्मक भूमिका में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए।

भारतीय संघवाद वर्तमान समय में शासन व्यवस्थाओं का संचालन और संघीय व्यवस्था के प्रत्येक स्तरीय सरकार को एक नवीन स्वरूप प्रदान करता है।

वर्तमान समय की आवश्यकता शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार तथा प्रभावशाली राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य तथा स्वस्थ्य सहयोग की स्थिति सदैव बनी रहे ।

**सन्दर्भ सूची**

1. ए. एस नारंग '' भारतीय शासन और राजनीति'' में गीतांजली पबलिसिंग हाऊस
2. भारत में संघवाद – डॉ. वृजेश कुमार यादव
3. प्रो० बी. एल फड़िया : भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन
4. कश्यप डॉ० सुभाष : हमारी संसद नई दिल्ली संस्करण 2018 नेशनल बुक ट्रस्ट
5. https:// www-gkpad.com> Sachin
6. खान रशीउदीन फेडरल इण्डियाः ए डिजाइन फॉर चेंज, विकास पब्लिकेशन हाऊस नई दिल्ली 1992
7. पुखराज जैन, भारतीय शासन एवं राजनीति